

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश  
(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 104/2013 अ०फ०  
संस्थिति दिनांक 01.10.2013

बीरेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह उम्र 46 वर्ष। व्यवसाय  
झाड़वरी, निवासी बडी कौथर थाना पोरसा, हाल  
विकास नगर भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलार्थी/आरोपी

**बनाम**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी गोहद चौराहा  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रतिअपीलार्थी/अभियोगी

---

अपीलार्थी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

---

न्यायालय श्री एस०के०तिवारी, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक  
प्रकरण क्रमांक 89/2010 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 02-09-2013  
से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 104/2013

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(3) दं.प्र. सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- श्री एस०के०तिवारी के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 89/2010 ई. फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा वि० बीरेन्द्रसिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 02.09.2013 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा०दं०वि० के तहत दोषी पाते हुए आहत रामवरन, विमला व गोलू प्रत्येक के संबंध में आरोपी/अपीलार्थी को धारा 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत 03-03 माह का

सश्रम कारावास एवं 600/-600/- रूपए के अर्थदण्ड तथा आहत नंदू के संबंध में धारा 338 भा०दं०वि० में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक दिनांक 16.02.2010 को फरियादी व उसकी पत्नी व बच्चे नंदेसिंह व गोलूसिंह मारुती वेन में बैठकर ग्वालियर से भिण्ड जा रहे थे। दिन के करीब 11:30 बजे ग्राम बिरखडी के होटल के पास पहुँचे तभी भिण्ड तरफ से बस क्रमांक एम.पी. 07-0182 का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मारुती में टक्कर मार दी जिससे उसके बाएँ हाथ व पैर में चोटें आई तथा नंदू को दोनों पैरों में चोटें आई, गोलू को दोनों हाथ व विमला को सिर में चोटें आई। घटनास्थल से बस चालक बस को भगाकर ले गया। उक्त सूचना पर देहातीनालसी रिपोर्ट 0/10 धारा 279,337 भा०दं०वि० का पंजीबद्ध किया गया जो कि असल कायमी अ०प्र० 30/10 धारा 279,337,338 भा.दं.स. का लेखबद्ध किया गया। आहतगण का इलाज कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं प्रश्नाधीन बस क्रमांक एम.पी. 30 पी 0182 एवं उससे संबंधित बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की जप्ती की गई। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 279, 337, 338 भा०दं०वि० के संबंध में अपराध पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 02.09.13 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंडित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही विवेचन न कर दण्डाज्ञा पारित करने में गंभीर भूल की है। प्रकरण में देहातीनालसी रिपोर्ट में जो बस का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 07-0812 वर्णित किया गया है उस क्रमांक की कोई भी बस प्रकरण में जप्त नहीं है तथा अभियोजन साक्षियों के द्वारा उक्त बस से ही दुर्घटना घटित होना स्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में साक्षियों के कथनों में आए हुए अत्यधिक विरोधाभास होने पर ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई

साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई हैं एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 02.09.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

### ::- निष्कर्ष के आधार:-

08. अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् उसी दिन लिखी गई है, उसमें दुर्घटना कारित करने वाली बस का क्रमांक एम.पी. 07/0182 के चालक के द्वारा वाहन को घटना के समय चलाना बताया गया है, बाद में साक्षियों के कथनों के दौरान उनके कथनों में काटपीट कर बस का क्रमांक एम.पी. 30 पी/0182 किया गया है। उक्त तथ्य को विचारण न्यायालय के द्वारा विचार में नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना के समय बस चलाते हुए देखना अथवा उसकी कोई पहचान नहीं की गई है। ऐसी दशा में जबकि घटना के समय आरोपी को द्वारा वाहन चलाए जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है उसके विरुद्ध आरोपी प्रमाणित नहीं होता है उसे दोषसिद्ध नहीं ठहराया जाना उचित नहीं है।

09. सर्वप्रथम घटना दिनांक को दुर्घटना घटित होने एवं आहतों को चोटें आने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में फरियादी रामवरन अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को मारुती वेन में बैठकर ग्वालियर से भिण्ड जा रहे थे, जब बंजारे के पुरा के पास पहुँचे तो भिण्ड की तरफ से बस आ रही थी जिसने कि उनकी गाडी में टक्कर मार दिया था। जससे उसके पुत्र नंदू और उसकी पत्नी विमला को चोटें आई थी। उक्त तथ्य का समर्थन घटना की अन्य आहत विमला अ0सा0 2, महेन्द्रप्रातप उर्फ नंदू अ0सा0 3 तथा गोलू

तोमर अ0सा0 4 के कथनों से भी होती है।

10. इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 7 जिनके द्वारा कि आहतों का मेडीकल परीक्षण किया गया है के द्वारा दिनांक 16.02.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान आहत विमला पत्नी रामवरनसिंह की चोटों का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे परीक्षण के दौरान बाईं अग्र भुजा पर फटा हुआ घाँव 2 गुणा 1.5 से.मी. आकार में पाई गई एवं सर में दाईं तरफ 1 गुणा 1 से.मी. का फटा हुआ घाँव पाया गया था। आहत को आई चोटों साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी जिस संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को आहत रामवरन पुत्र दलेलसिंह का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे कि दाएं हथैली पर 3 गुणा 1.5 से.मी. का रगड का निशान था एवं आहत सीने में एवं सर के पीछे भाग में दर्द की शिकायत कर रहा था। आहत को आई चोट कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना और साधारण प्रकृति की होकर 6 घण्टे के अंदर थी जिस संबंध में तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को आहत गोलू का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे दाएं हाथ के पीछे के भाग में 02 गुणा 01 से.मी. रगड का निशान एवं बाएं हाथ के पीछे के भाग में 3 गुणा 1.5 से.मी. का रगड का निशा एवं दाएं घुटने पर 3 गुणा 1 से.मी. का नील का निशान पाया गया। आहत को आई उक्त चोटों साधारण प्रकृति की होकर 6 घण्टे के अंदर थी जो कड़े तथा भौथरी वस्तु से आना संभावित थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आलोक शर्मा अ0सा0 7 के द्वारा उसी दिनांक को आहत नंदू का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे दाएं पैर के बीच में एक तिहाई भाग में फटा हुआ घाँव पाया था एवं दाईं कलाई में फटा हुआ घाँव तथा सीने में रगड का निशान एवं बाएं पैर के बीच में फटा हुआ घाँव तथा बाईं जांघ में फटे हुए घाँव होने पाए गए थे। आहत को आई चोटों कड़े तथा भौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर थी। चोट क्रमांक 1, 4 व 5 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। शेष चोटों साधारण प्रकृति की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसी दिनांक को आहत नंदू को जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर के हड्डी विभाग में उपचार हेतु रेफर किया गया था। जिस संबंध में रेफर पर्ची प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को दुर्घटना के फलस्वरूप आहतों रामवरन, विमला, नंदू एवं गोलू तोमर को चोटें आई थी जो कि आहत गोलू को घोर उपहति कारित हुई। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या उपरोक्त दुर्घटना आरोपी



के द्वारा ही वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर कारित की गई?

12. घटना के फरियादी/आहत रामवरन अ0सा0 1 के द्वारा आरोपी की कोई पहचान नहीं की गई है। उसके द्वारा केवल यह बताया गया है कि बस के ड्राइवर ने उनकी गाडी में टक्कर मार दी थी। मुख्य परीक्षण में बस का नम्बर भी उसके द्वारा नहीं बताया गया है। घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 1 उसके द्वारा लिया जाना जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों में उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस का नम्बर एम.पी. 07/0182 बताया था, जबकि प्र.पी. 3 में उसका नम्बर एम.पी. 030 पी. 0182 बताया है और यह भी बताया है कि गाडी चालक गाडी को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी गाडी का नम्बर उसे याद न होना बताया है। कंडिका 5 में बताया है कि गाडी का नम्बर उसे पडोसी ने बताया था और वही नम्बर उसने रिपोर्ट में लिखाई थी तथा उसे यह बताया है कि उसे यह खबर मिली थी कि गाडी बीरेन्द्र चला रहा था।

13. इस प्रकार फरियादी के कथनों में कहीं भी उसके द्वारा आरोपी को घटना के समय वाहन को चलाते हुए देखना नहीं आया है। उसे पडोस के लोगों के द्वारा गाडी का नम्बर बताया जाना अभिकथित कर रहा है, किन्तु पडोस के किन लोगों के द्वारा उसे गाडी का नम्बर बताया है ऐसा कहीं भी उसके साक्ष्य में नहीं आया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् लिखाई गई है उसमें बस का नम्बर एम.पी. 07/0182 उल्लेख किया गया है और इस संबंध में साक्षी के पुलिस कथन में भी वाहन के क्रमांक के संबंध में जो उल्लेख आया है उसमें भी यह स्पष्ट है कि पहले वाहन का क्रमांक जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया है उल्लेख किया गया है बाद में काटपीट कर उसके क्रमांक को एम.पी. 030 लिखा गया है। इस प्रकार फरियादी के कथन के आधार पर घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया जाकर दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित माना जाना सुरक्षित नहीं है। यह आवश्यक है कि उक्त तथ्य की पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से हो।

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी विमला अ0सा0 2 के द्वारा भी कहीं भी आरोपी की पहचान नहीं की गई है और न ही बस का क्रमांक जिससे कि दुर्घटना कारित की जानी बताई जा रही है वह बता पाई है। ऐसी दशा में उक्त साक्षिया के कथन से फरियादी के कथन व अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि नहीं होती है। अन्य अभियोजन साक्षी महेन्द्रप्रताप उर्फ नंदू द्वारा बस क्रमांक एम.पी. 30 पी. 0182 के चालक के द्वारा लापरवाही से बस को चलाते हुए लाना और उनकी गाडी में टक्कर मारना बताया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उनसे पुलिस ने हॉस्पिटल में पूछताछ की थी उसके बाद कभी भी पूछताछ करने नहीं आई

थी। आरोपी की पहचान के संबंध में उसके द्वारा यह बताया गया है कि घटना को ढाई साल हो गए हैं इसलिए वह उसे अब नहीं पहचान पा रहा है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा भी आरोपी की कोई पहचान नहीं की जा सकी है। जहाँ तक बस के क्रमांक का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी महेन्द्रप्रताप उर्फ नंदू के धारा 161 जा.फौ. के कथन में वाहन के क्रमांक को एम.पी. 30 काटकर बाद में किया गया है और उक्त साक्षी के द्वारा कहीं भी यह नहीं बताया गया कि पहले उसे वाहन का नम्बर ठीक से नहीं मालूम था। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी केवल अस्पताल में उससे पूछताछ करना और उसके बाद कहीं भी उससे पूछताछ न करना बताया है। ऐसी दशा में बाद में उसके कथन में बस के क्रमांक में जो काटपीट की गई है उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

15. अभियोजन साक्षी गोलू तोमर अ0सा0 4 बस क्रमांक एम.पी. 030 पी. 0182 के चालक के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना बता रहा है। उक्त साक्षी के द्वारा भी कहीं भी आरोपी की पहचान नहीं की गई है। साक्षी के पुलिस कथन में वाहन के क्रमांक को बाद में काटकर एम.पी. 30 पी. 0182 लिखा जाना स्पष्ट है।

16. यदि यह मान लिया जाए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी के द्वारा वाहन का नम्बर भूलवश गलत लिखा दिया गया है तब भी अभियोजन को यह प्रमाणित करना होगा कि घटना के समय बस आरोपी के द्वारा ही चलाई जा रही थी। इस संबंध में जैसा कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है, प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया है जिससे कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही बस चलाए जाने का तथ्य प्रमाणित होता हो। विचारण न्यायालय के द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर कि आरोपी का नाम अभियोजन साक्षी बता रहे हैं और आरोपी से ही जप्ती की कार्यवाही हुई है को आधार मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया है।

17. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी साक्षी के द्वारा घटना के समय आरोपी को ही दुर्घटना कारित करने वाली बस चलाते हुए देखा गया हो और उसकी पहचान की गई है, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। आरोपी का नाम जो कि साक्षीगण बता रहे हैं, वह बाद में उन्हें पता चलने पर उसका नाम मुख्य रूप से उनके द्वारा बताया जा रहा है और इस संबंध में फरियादी रामवरनसिंह का कथन महत्वपूर्ण है जो कि यह अभिकथित किया है कि आरोपी चालक उसका रिस्तेदार है इस कारण उसका नाम जानता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी आरोपी चालक के नाम अथवा उसके द्वारा ही घटना के समय वाहन चलाए जाने का कोई उल्लेख नहीं आया है। निश्चित तौर से यदि फरियादी को पहले से ही मालूम था कि वाहन किस के द्वारा चलाया जा रहा था और वाहन चालक उसका रिस्तेदार ही था तो उसके द्वारा किन कारणों से अपनी रिपोर्ट में

अथवा पुलिस को दिए गए कथन में उसका नाम क्यों नहीं बताया गया, यह विचारणीय है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों के कथनों के आधार पर भी घटना के समय आरोपी के द्वारा ही वाहन चलाए जाने और उसके द्वारा ही दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य मानने का कोई आधार नहीं है और इस संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई साक्ष्य को उचित रूप से विचार में लिया जाना नहीं पाया जाता है।

18. जहाँ तक वाहन के जप्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन का जो नम्बर उल्लेखित किया गया है वह भिन्न है और उसके पश्चात् साक्षियों के कथनों में वाहन का जो नम्बर उल्लेख किया गया है उसमें भी काटपीट हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि वाहन क्रमांक एम.पी. 30 पी. 0182 की जप्ती घटना के एक सप्ताह पश्चात् दिनांक 23.02.2010 को की जानी बताई गई है। घटना के समय आरोपी ही उक्त वाहन को चला रहा था इस आशय का कोई भी प्रमाणीकरण न तो पेश कराया गया है और न ही किसी साक्ष्य के द्वारा उसे प्रमाणित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र बस क्रमांक एम.पी. 30 पी. 0182 व उसके कागजातों की जप्ती आरोपी से की जाने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध मानी जानी कदापि सुरक्षित नहीं है।

19. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य का विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। आरोपी की कोई पहचान किसी भी साक्ष्य के द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण में कोई ऐसा साक्ष्य भी नहीं आया है जिसने कि आरोपी को घटना के समय वाहन को चलाते हुए देखा गया हो। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही वाहन के नम्बर के संबंध में बिसंगति है जो कि बाद में साक्षियों के 161 जा0फौ0 के कथन में भी काटपीट की गई है जिससे कि वास्तव में दुर्घटना में कौन सा वाहन लिप्त है इस बिन्दु पर भी अस्पष्टता है। ऐसी दशा में जब कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से आरोपी के द्वारा ही वाहन जिससे कि दुर्घटना घटित होनी बताई जा रही है उसे घटना के समय चलाए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। इस आधार पर आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने एवं उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप फरियादी व अन्य आहतगणों को उपहति कारित होने व आहत नंदू को घोर उपहति कारित होने के संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अभिलेख एवं आई हुई साक्ष्य के विपरीत है।

20. अतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व दण्डादेश उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्थिर रखे जाने योग्य न होने से विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश दिनांक 02.09.2013 को अपास्त किया जाता है। आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के द्वारा जमा की गई

अर्थदण्ड की राशि बापस किए जाने का आदेश दिया जाता है। जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाता है।

21. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।  
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)